यमुना पार के निवासियों का आरोप है कि अधिकार में भूमि एवं भवन के नाम पर विशेष सेल के गठन के बाद वास्तविक भूमि चोरों को तो बचाया जा रहा है तथा निर्दोष व्यक्तियों को आतंकित किया जा रहा है । लोगों की मांग है कि इस विशेष सेल की आड़ में की जा रही गैर-कानूनी कार्यवाही और लूट खसोट की जांच की जाय ।

डी.डी.ए. की इस आतंक लीला से यमुना पार की कालोनियों में भय व आतंक व्याप्त है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि वह तोड़ फोड़ रोक कर सभी अनधिकृत कही जाने वाली बस्तियों को नियमित करने, उजाड़ गये परिवारों को बसाने तथा लोगों को मुआवजा देने का आदेश निर्गत करें ।

(iii) Need to declare Jodhpur city as B-2 city for facilities to Central Government Employees.

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि जोधपुर शहर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने हेतु अविलम्ब निर्णय लें क्योंकि यह शहर सभी मापदण्ड पूरे कर चुका है, जो किसी भी शहर को बी-2 श्रेणी प्रदान करने हेतु आवश्यक होते हैं ।

13.00 hrs.

जनसंख्या की दृष्टि से भी इस शहर की जनसंख्या मार्च 1979 के जून माह तक प्राप्त सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार 4 लाख 3 हजार थी, जो वर्तमान में बढ़कर करीब 4 लाख 25 हजार से ज्यादा हो गई है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त जनसंख्या में रक्षा प्रतिष्ठान (सैनिक, वायु सेना) में कार्यरत कर्मचारियों व उनके परिवारजनों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, जो कि अलग से करीब 1 लाख 75 हजार के है ।

जोधपुर शहर का औद्योगिक विकास, शहर का ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से बढ़ते महत्व को देखते हुए अस्थायी आने वालों की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है ।

अतः वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जोधपुर शहर को अविलम्ब बी-2 श्रेणी का शहर घोषित कर केन्द्रीय कर्मचारियों एवं आम जनता को न्याय दें ।

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned for lunch and will meet at 2 P. M.

13.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five Minutes past Fourteen of the Clock.

(SHRI HARINATHA MISRA *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377—contd.

(iv) Measures to provide uninterrupted Services by Nationalised Banks.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में देश की जनता ने राहत की सांस ली थी और यह महसूस किया था कि राष्ट्रीयकृत बैंक जनता की भली प्रकार सेवा कर सकेंगे । लेकिन देखने में यह आया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण निजी बैंकों के कार्यकरण से कहीं ज्यादा नीचे गिर गया है ।

बैंक कर्मचारी अपने प्रबन्धकों से किसी भी विवाद के उत्पन्न हो जाने से यदा-कदा हड़ताल पर चले जाने या क्लीयरिंग हाउस का कार्य न करना आदि कठिनाइयां उपस्थित कर देते हैं, जिससे इसका असर बैंक उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्योग मालिकों पर पड़ता है ।

बैंक कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद उत्पन्न होने से जब बैंक कर्मचारी क्लीयरिंग हाउस का काम बन्द कर देते हैं, उस समय की स्थिति काफी विकट हो जाती है ।

श्री माधव राव सिन्धिया (गुना): पान के कारण सुनाई नहीं देता है ।